



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/ATY-671/MP/3/2022-ESDW

दिनांक: 28.03.2023

श्री जीवन,
पिता सवाई सिंह,
ग्राम कल्यादेह बरोठा,
तहसील व जिला- देवास,
मध्य प्रदेश - 455001

श्री प्रेम दोहरे,
ग्राम भानपुर, पोस्ट-रतिबाद,
भाड़ भाड़ा रोड,
भोपाल-462044
मध्य प्रदेश


विषय: आवेदक की कृषि भूमि पर किये गए अवैध कब्जे को हटाये जाने बाबत श्री कल्लू उर्फ दिलीप ध्रुवे, मंडला, मध्य प्रदेश का दिनांक 23.11.2021 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 11.04.2023 को 10:30 बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी